बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0310–4 (मु0)–उ0 यो0–20–17/2024 – 1090 /पटना, दिनांक– 01/03/2024

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 330 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ–6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0/मी0) एवं स्तम्भ–10 में उन्नयनार्थ तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर योजनावार जिनकी कुल राशि रू0 **121092.96800 लाख रूपये (एक हज़ार दो सौ दस करोड़ बानबे लाख छियानबे हजार आठ सौ रूपये)** मात्र है, पर पैकेजवार (कुल 330 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों अन्तर्गत 330 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 05 से 15 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 एवं 09 में अंकित कुल राशि 110052.48600 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि रु0–11040.48200 लाख (स्तंभ–08) है इस प्रकार कुल राशि 121092.96800 लाख मात्र है पर विधिवत पैकेजवार (कुल 330 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Serial No.	Division	Scheme Serial No.	Block	Road Name	Length in Km	Cost of Upgradation/ Strengthening (in lakh)	Cost of 5-years Maintenance (in lakh)	Administrative fund and Contingency Cost (in lakh)	Total Estimated Cost (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bagaha-I	1	Bagaha-I	Gram Chaitarwa Tola Bahurwa Kanta to Gram Lagunaha Tola Ahirbaliya Bandh Tak Sadak	2.510	223.570	26.760	8.140	1279.210
		2	Ramnagar	L040-Semrauni to Betahni (VR20)	9.770	903.400	85.210	32.130	
2	Bagaha-I	3	Bagaha-2	Harna Tad to Khajuriya with 1st HL Bridge 2x18.75m At Ch. 1.5 km and 2nd HL Bridge 2x18.75m At Ch. 2.23 km	3.120	1297.370	38.510	43.420	1379.300
3	Bagaha-I	4	Ramnagar	Gobardhana To Gobrhia Nirman Road FDR	12.130	1333.160	117.770	47.160	1498.090
4	Bagaha-2	5	Bhitaha	L040-Baluhi to Bhagawanpur (VR24)	2.400	212.610	23.810	7.680	1491.550
		6	Bhitaha	Khaira Tola Nawagawan Bridge to Semarban Road (Recind)	11.690	1099.590	108.600	39.260	
5	Betia	7	Bairiya	Bettiah Khiriya Ghat to Paterwa Ghat	12.750	1277.370	122.560	45.500	1445.430

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

2. मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपशीर्ष 00 103– ग्राम विकास –0121–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति के घटक के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 500 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक– 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 11 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति हेतु लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 22.01.2024 को BOS में 1500 करोड़ की अतिरिक्त छूट दी गयी है जिसकी प्रति पत्राचार खण्ड पर रक्षित है, जिसके आलोक में कुल 3000 करोड़ तक की योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।

3. मांग संख्या–37 बजट शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष– 04–जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष –105 रख–रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0001 ग्राम सड़क– अन्य रख–रखाव व्यय, विषय शीर्ष –2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड–37–3054041050001 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4000 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभाग के निर्गत संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–11 के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।

4. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल** योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

5. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त कार्य का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

6. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–उ0यो0–20–25/2024 में दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त है।

7. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं का पैकेजवार (कुल 330 योजनाओं) प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–01.03.2024 को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–उ0यो0–20–17/2024 में अनुमोदन प्राप्त है।

8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद, दर एवं मात्रा की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य कार्यक्रम / शीर्ष से अच्छादित नहीं हो।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

11. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

12. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

13. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों एवं समय–समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

17. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–उ0यो0–20–17/2024 के पृ0–51/प0 पर दिनांक– 29.02.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)– उ0यो0–20–17/2024-1090 /पटना, दिनांक–01/03/2024
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव 1/3/24

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)– उ0शो0–20–17/2024-1090 /पटना, दिनांक–01/03/2024

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता– 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6** पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner